जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./12/डी–958 दिनांकः–27/7/12

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 89वीं बैठक दिनांकः 05.07..12 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		89:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 88वीं बैठक दिनांक 18.04.12 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन व 52वीं से 88वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 88वीं बैठक दिनांक 18.04.12:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 88वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। अवशेष पालना रिपोर्ट की समीक्षा करने पर आयुक्त महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये :– 1. **प्रस्ताव सं.**–52:6, 70:7, 71:10(3), 72:3(9), 73:5(8), 82:8(3), 83:3(2), 84:4, 85:2(4), 87:10(3), 88:4, 88:10(4), 88:10(5) को पालना हो जाने के कारण ड्रॉप किये जावे। 2. **प्रस्ताव सं.**–78:18 भांकरोटा विकास प्रबन्ध समिति बनाम सरकार के न्यायालय प्रकरण में न्यायालय के निर्णय को गहनता से देखकर यह सुनिश्चित किया जावे कि विद्यालय हेतु कितनी भूमि दी जानी है। आयुर्वेद विभाग का आवंटन निरस्त कर दिया गया है अथवा नहीं। अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता व न्यायालय के निर्णय को देखते हुए उपायुक्त द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में वस्तुस्थिति से उपायुक्त द्वारा अवगत कराया जावे। 3. **प्रस्ताव सं.** 82:7 मॉडल स्कूल जमवारामगढ हेतु खसरा नं. 543 में से 15 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, किन्तु संस्था द्वारा आवंटित भूमि दूर होना बताया गया। उपायुक्त ने बताया कि अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः विभाग को उक्तानुसार सूचित कर दिया जावे। 4. **प्रस्ताव सं. 84:4(3)** इस्लामी कमेटी मुरलीपुरा के प्रकरण में राज्य सरकार से सशर्त स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके बारे में विधिक राय हेतु पत्रावली निदेशक (विधि) को भेजी गई है। उपायुक्त जोन 6 को निर्देशित किया गया कि वे निदेशक (विधि) से टिप्पणी प्राप्त कर प्रकरण का निस्तारण करे व पालना से आगामी बैठक से पूर्व अवगत करावे। 5. कई प्रकरणों में पालना रिपोर्ट लम्बे समय से प्राप्त नहीं हो रही है। जिस पर आयुक्त महोदय ने अप्रसन्नता जाहिर की व सभी उपायुक्तों को आगामी बैठक से पूर्व समस्त पालना रिपोर्ट अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) को भेजने के निर्देश दिये। साथ ही अनुपालना से शेष प्रकरणों की समीक्षा अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) को अपने स्तर पर करने के निर्देश दिये।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

2.	1	89:2	आर्च एज्यूकेशन सोसायटी संस्था से भूखण्ड सं. 9 योजना मालवीय नगर, संस्थानिक क्षेत्र की नजराना राशि विलम्ब से जमा कराने पर प्राधिकरण द्वारा वसूल की गई नियमानुसार ब्याज एवं पैनल्टी की राशि संस्था द्वारा वापसी की मांग के संबंध में।	प्रकरण पर समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया। संस्था को एलपीसी के निर्णय दिनांक 10.03.05 की अनुपालना में जारी संशोधित मांग पत्र संस्था द्वारा कब प्राप्त किया गया। इस दिनांक से नियमान्तर्गत जितनी अवधि में राशि जमा की जानी थी वह संस्था द्वारा समय पर जमा करवाई अथवा नहीं, इस संबंध में नियमों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जांच उपायुक्त व निदेशक (वित्त) के स्तर पर की जाकर पत्रावली आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
3.	5	89:3	श्री राजेन्द्र सिंह को प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 70वीं बैठक में लिये गये निर्णय दिनांक 29.10.10 में 60 फीट चौडी सड़क की चौडाई प्राप्त करने के लिये समझोते के आधार पर प्राप्त की गई भूमि के बदले आवंटित भूमि जोन 5 में स्थित आतिश मार्केट में दिये जाने बाबत।	विपुल मोटर्स अजमेर रोड के पास अजमेर रोड से जनपथ को जोडने वाली 60 फीट चौडी सड़क की चौडाई प्राप्त करने के लिए समझोते के आधार पर प्राप्त की गई भूमि के बदले भूमि आवंटन के संबंध में (एलपीसी) की 70वीं बैठक दिनांक 29.10.10 में यह निर्णय लिया गया कि श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह को उसकी सड़क चौडाई हेतु जविप्रा द्वारा प्राप्त की गई भूमि के बदले अन्यत्र जोन में भूमि दिये जाने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावें। श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह का शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सुशीलपुरा में आवासीय भूखण्ड सं.–1 क्षेत्रफल 188.8 वर्गगज का था। 60 फीट रोड की चौडाई के लिए भूखण्डधारी के मौके पर स्थित मोटर गेराज को हटाकर 139.5 वर्गगज भूमि पर सड़क निर्माण कर दिया गया। जोन स्तरीय बैठक दिनांक 04.11.11 में भूखण्डधारी की कब्जे में ली गई भूमि 139.5 वर्गगज के बदले में 75 प्रतिशत भूमि 87.48 वर्गमीटर दिये जाने का निर्णय लिया गया। ऐसे अन्य प्रकरणों का निस्तारण पूर्व में किया जा चुका है। उसी अनुरूप प्रस्तावानुसार न्यू आतिश मार्केट में उपलब्ध व्यावसायिक भूखण्ड सं. 276 व 277 जिनकी माप 74.32 वर्गमीटर व भूखण्ड सं. 281 जिसकी माप 9.29 वर्गमीटर है। इस प्रकार कुल 83.61 वर्गमीटर भूमि तत्कालीन आरक्षित दर 3300/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। इसका अनुमोदन अथोरिटी की बैठक में करवाया जावे।
4.	14	89:4	कु0 गरिमा यादव को रोहिणी नगर तृतीय आवासीय योजना का आवंटित भूखण्ड सं. 1429, श्मशान की भूमि में होने के कारण अन्य भूखण्ड विनिमय करने बाबत।	कु0 गरिमा यादव को रोहिणी नगर तृतीय आवासीय योजना का आवंटित भूखण्ड सं. 1429, श्मशान की भूमि में होने के कारण योजना क्षेत्र में समान माप व समान चौडाई की सडक पर स्थित भूखण्डों में से 1 भूखण्ड विनिमय द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
5.	9	89:5	श्री चिरंजी लाल मीणा को आवंटित भूखण्ड सं. 132 योजना निलय कुंज पर काश्तकार द्वारा विरोध उत्पन्न करने के कारण अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	निलय कुंज योजना का भूखण्ड सं. 132 विवादित खसरा नं. 1107 में स्थित है। उक्त भूखण्ड 18 मीटर रोड पर स्थित है। विवादित होने के कारण आवंटी को कब्जा नहीं दिया जा सका। 18 मीटर रोड पर कोई भूखण्ड शेष न होने के कारण 24 मीटर रोड पर भूखण्ड सं. 215 क्षेत्रफल 264 वर्गमीटर विनिमय. द्वारा आवंटन का निर्णय लिया गया।
6.	9	89:6	श्री सैय्यद इकबाल जविप्रा कर्मचारी को भूखण्ड संख्या ए–107 योजना टीलावाला के स्थान पर भूखण्ड सं. ए–26 योजना टीलावाला का विनिमय में दिये जाने बाबात।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार श्री सैयद इकबाल जविप्रा कर्मचारी को भूखण्ड संख्या ए–107 योजना टीलावाला के स्थान पर भूखण्ड सं. ए–26 योजना टीलावाला का विनिमय का निर्णय लिया गया।

7.	9	89:7	श्री अरविन्द विक्रम सिंह को भूखण्ड संख्या सी–19 योजना रामनगरिया विस्तार क्षेत्रफल 162 व.मी. भूखण्ड पर धार्मिक चबूतरा होने के कारण अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार श्री अरविन्द विक्रम सिंह को भूखण्ड संख्या सी–19 योजना रामनगरिया विस्तार क्षेत्रफल 162 व.मी. भूखण्ड पर धार्मिक चबूतरा होने के कारण भूखण्ड सं. 505 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर 9 मीटर की चौडाई की सडक पर विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
8.	12	89:8	श्री विजय कुमार टांक को भूखण्ड सं. ए–47 रजत विहार योजना क्षेत्रफल 252 व.मी. का मौके पर क्षेत्रफल कम हो जाने के कारण अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार श्री विजय कुमार टांक को भूखण्ड सं. ए–47 रजत विहार योजना क्षेत्रफल 252 व.मी. के स्थान पर भूखण्ड सं. सी–85, 12 मीटर चौडी सडक पर विनिमय द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
9.	4	89:9	एयरपोर्ट बाउन्ड्रीवाल के पास 160 फीट रोड में आ रहे भूखण्डधारियों श्रीमती गोपी देवी एवं श्रीमती कंचन देवी मीणा का पुर्नवास करने हेतु।	एयरपोर्ट बाउन्ड्रीवाल के पास 160 फीट रोड में आ रहे भूखण्डधारियों श्रीमती गोपी देवी पत्नि श्री सीताराम मीणा एवं श्रीमती कंचन देवी पत्नि स्व. श्री हरीनारायण मीणा के भूखण्ड सं. 48 क्षेत्रफल 200 वर्गगज को पुर्नवासित किया जाना है। भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 58वीं बैठक दिनांक 11.09.09 में समान प्रकृती के कब्जेधारी व्यक्तियों को प्रत्येक को 90 वर्गमीटर का भूखण्ड सवाई गैटोर योजना में 1650/– प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटन का निर्णय लिया गया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार उक्त हितधारियों को सवाई गैटोर आवासीय योजना में 90 मीटर का भूखण्ड (प्रत्येक को 45–45 वर्गमीटर) 1650/– प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटन का निर्णय लिया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत प्राधिकरण की उच्चाधिकार समिति से अनुमोदन कराया जावे।
10.	10	89:10	जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उधमकर्ता विकास केन्द्र, जयपुर को औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन, छात्रावास एवं स्टाफ क्वार्टर हेतु ग्राम खोनागोरियान तह. सांगानेर के खसरा नं. 1972 में से 9012 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया निदेशक आयोजना ने बताया कि प्रस्तावित भूमि का मास्टर प्लान 2025 में भू–उपयोग आवासीय एवं मिश्रित है, जो औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन, छात्रावास एवं स्टाफ क्वार्टर हेतु अनुज्ञेय है। अतः जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उधमकर्ता विकास केन्द्र, जयपुर को औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन, छात्रावास एवं स्टाफ क्वार्टर हेतु ग्राम खोनागोरियान तह. सांगानेर के खसरा नं. 1972 में से 9012 वर्गमीटर भूमि 40 फीट सेक्टर सडक का क्षेत्रफल सम्मिलित करते हुए आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
11.	9	89:11	श्रीमती पुष्पा केडिया पत्नि श्री सुरेश केडिया को सैन्ट्रल स्पाईन योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–113 कॉर्नर के बदले ब्लॉक ई के भूखण्ड संख्या 4 विनिमय में दिये जाने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार श्रीमती पुष्पा केडिया पत्नि श्री सुरेश केडिया को सैन्ट्रल स्पाईन योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–113 कॉर्नर के बदले ब्लॉक ई के भूखण्ड संख्या 4 व 5बी में से एक भूखण्ड विनिमय करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

12.	9	89:11(1)	हाथोज समूह (करघनी) योजना के विवादित भूखण्डों की सूची जिनका भौतिक कब्जा नहीं किया जा सका विनिमय में दूसरा भूखण्ड देने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार हाथोज समूह (करघनी) योजना के भूखण्ड सं. ए–166, ए–167, ए–168, ए–211 के स्थान पर क्रमशः बी–33, बी–34, बी–35 व बी–36 तथा हाथोज विस्तार योजना के भूखण्ड सं. ए–36 के स्थान पर हाथोज समूह (करघनी) योजना के भूखण्ड सं. बी–31 व बी–32 कुल 272 वर्गमीटर भूमि विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया। आवंटी से मूल आवंटित क्षेत्रफल से अधिक बढे हुए क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर की आरक्षित दर की दुगुनी राशि वसूल की जावे।

अति. आयुक्त (पूर्व)
जयपुर विकास प्राधिकरण

13.	9	89:11(2)	श्रीमती भगवती देवी जैन पत्नि श्री मानमल जैन कारे योजना मौजी कॉलोनी, टोंक रोड में दुकान/भूखण्ड 47 व 48 के स्थान पर दुकान/भूखण्ड सं. 1ए एवं 1बी विनिमय में आवंटित करने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर कार्योत्तर स्वीकृति का निर्णय लिया गया। भूखण्ड सं. 1–ए व 1–बी पर लोहार का कब्जा होना भी जानकारी में लाया गया। अतः कब्जा न हटा पाने की स्थिति में प्रार्थिया श्रीमती भगवती देवी जैन पत्नि श्री मानमल जैन से उपायुक्त वार्ता कर बराबर क्षेत्रफल की अन्य वैकल्पिक भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे।
14.	9	89:11(3)	सैन्ट्रल स्पाईन योजना के भूखण्ड संख्या ई–30 के बदले भूखण्ड संख्या सी–255 विनिमय में आवंटन किये जाने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार सैन्ट्रल स्पाईन योजना में श्रीमती विद्या देवी को आवंटित भूखण्ड संख्या ई–30 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर के बदले भूखण्ड संख्या सी–255 क्षेत्रफल 324 वर्गमीटर विनिमय में आवंटन का निर्णय लिया गया। बढे हुए क्षेत्रफल 54 वर्गमीटर की आरक्षित दर से दुगुनी दर से गणना कर राशि वसूल की जावे।
15.	10	89:11(4)	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर को बीसलपुर परियोजना हेतु पूर्व में आवंटित ग्राम खो नागोरियान तह. सांगानेर के खसरा नं. 2065 रकबा 0.93 हेक्टे. में से 3119.54 व.मी. भूमि का आवंटन निरस्त करने एवं ग्राम खो नागोरियान तह. सांगानेर के खसरा नं. 2098 रकबा 0.60 हैक्टेयर में से 3036.00 व.मी. भूमि आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर को बीसलपुर परियोजना हेतु पूर्व में आवंटित ग्राम खो नागोरियान तह. सांगानेर के खसरा नं. 2065 रकबा 0.93 हेक्टे. में से 3119.54 व.मी. भूमि का आवंटन निरस्त करने एवं ग्राम खो नागोरियान तह. सांगानेर के खसरा नं. 2098 रकबा 0.60 हैक्टेयर में से 3036.00 व.मी. भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को लिखा जावे। पेयजल समस्या को देखते हुए राज्य सरकार से अनुमोदन की प्रत्याशा में विभाग को आवंटित भूमि का कब्जा शीघ्र सुपुर्द किये जाने का भी निर्णय लिया गया।
16.	10	89:11(5)	पुलिस विभाग को पुलिस थाना स्थापित करने हेतु ग्राम खो–नागोरियान तह. सांगानेर के खसरा नं. 2065 रकबा 0.93 हैक्टेयर में से 6404 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार पुलिस विभाग को पुलिस थाना स्थापित करने हेतु ग्राम खो–नागोरियान तह. सांगानेर के खसरा नं. 2065 रकबा 0.93 हैक्टेयर में से 6404 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
17.	1	89:11(6)	पंजाबी महासभा को झालाना संस्थानिक क्षेत्र के भूखण्ड सं. जे–10 एवं 10ए, क्षेत्रफल 5375 व.मी. इस क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर 2100/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन किये जाने बाबत।	झालाना संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड सं. जे–10 एवं 10ए क्षेत्रफल 5375 व.मी. राजस्थान पंजाबी महसभा को आवंटित किया गया था। संस्था द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर संस्था को किया गया आवंटन दिनांक 13.04.12 को निरस्त कर दिया गया है। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण को भविष्य में भवन के विस्तार की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उक्त भूमि जविप्रा के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निम्न निर्णय भी लिये गये :–

1. पुलिस विभाग के लिए ग्राम बीड सरकारी तहसील जयपुर के खसरा नं. 203 विधाधरनगर के सेक्टर नं. 4 में से 2500 वर्गमीटर भूमि एलपीसी की बैठक दिनांक 23.03.11 में आरक्षित की गई थी, को पुलिस विभाग द्वारा उपयुक्त न बताये जाने के कारण उक्त आरक्षण निरस्त करने व इस भूमि की निलामी करने के निर्देश अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) को दिये।
2. एलपीसी की 82वीं बैठक दिनांक 21.09.11 में ग्राम पंचायत रोजदा को राजीव गांधी आई.टी. केन्द्र हेतु खसरा न. 662/2 में से 1000 वर्गगज भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था व निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को लिखा गया था, किन्तु राज्य सरकार से अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार की स्वीकृति प्राप्ति की प्रत्याशा में ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया जावे।

अति. आयुक्त (भू. नि.)
जयपुर विकास प्राधिकरण

3. एलपीसी की 82वीं बैठक दिनांक 21.09.11 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्वेज फार्म क्षेत्र में पानी की टंकी बनाने हेतु रुपविहार योजना के सुविधा क्षेत्र की 3300 वर्गगज भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया था। निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को लिखा गया है। प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्ति की प्रत्याशा में विभाग को भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जावे।

4. एलपीसी की 87वीं बैठक दिनांक 21.02.12 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को सेन्ट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हेतु ग्राम दहमीकलाँ में 8.09 हेक्टेयर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया था। ब्यूरो द्वारा उक्त भूमि उपयुक्त न बताई जाकर राजस्थान पुलिस अकादमी के पास उपलब्ध भूमि को आवंटित करने की मांग की जा रही है। अतः इस संबंध में राजस्थान पुलिस अकादमी की सहमति प्राप्त की जावे।

5. एलपीसी की 87वीं बैठक दिनांक 21.02.12 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम अखेपुरा हेतु खसरा नं. 285 में से 1 हेक्टेयर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है। अतः उक्त निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए 1 हेक्टेयर के स्थान पर 2000 वर्गमीटर भूमि सेटअपार्ट की जावे।

6. एलपीसी की 88वीं बैठक दिनांक 18.04.12 में जेसीटीएसएल को 20000 वर्गमीटर भूमि ट्रांसपोर्ट नगर योजना सीकर रोड पर आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था, किन्तु प्रश्नगत भूमि के मध्य स्थित 3100 वर्गमीटर भूमि निजी स्वामित्व की होना जानकारी में आया है। अतः यदि उक्त निजी भूमि पर कोई स्थगन आदेश न हो तो भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जावे अथवा धारा 44 के तहत समझौता करने की कार्यवाही शीघ्र की जावे।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त एवं (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सिचव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
सदस्य सचिव, जयपुर
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 89वी बैठक दिनांक 05.07.12 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री कुलदीप रांका, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शुचि शर्मा, सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री जे.बी. जाखड, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–II)	सदस्य
6.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्री रामावतार शर्मा, अतिरिक्त निदेषक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री राजेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
9.	श्री नरेन्द्र कुमार बंसल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री ओंकार मल सैनी, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
11.	श्री दिनेश कुमार पंवार, उपायुक्त जोन–4 व 11	विशेष आमंत्रित
12.	श्री हरीन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
13.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
14.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित